

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.8(5)/06/Pt.file/ L&B/LA/ 12521

Dated. 30/10/12

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North East), Delhi to take possession of land the specification of which is given in this notification u/s 4 No.F.8(5)/06/Pt.file/L&B/LA/13063 dated 5/11/2012 and u/s 6 No.F.8(5)/06/Pt.file/ L&B/LA/ 12521 dated 30/10/12 on expiration of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of section 9 of the said Act.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.

  
(USHA CHATURVEDI)  
Dy. Secretary (LA)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, नई दिल्ली


सं.एफ.8 (5)/06/पार्ट फाइल/भू.व.भ./भू.अ./123063

दिनांक: 30/10/13

अधिसूचना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पूर्व), नई दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या सं.एफ.8 (5)/06/पार्ट फाइल/भू.व.भ./भू.अ./13063 दिनांक 5.11.2012 धारा 4 एवं सं.एफ.8 (5)/06/पार्ट फाइल/भू.व.भ./भू.अ./123063 दिनांक 30/10/13 धारा 6 में दिया हुआ है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

  
(उषा चतुर्वेदी)  
उप-सचिव (भू.अ.)